इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2012—आश्विन 6, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. ई-5-845-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री के. सी. जैन, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 19 नवम्बर से 22 दिसम्बर 2012 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2012

क्र. ई-5-739-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2012 द्वारा दिनांक 21 से 25 अगस्त 2012 तक, पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें, दिनांक 21 से 22 अगस्त 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्र. एफ 1-5-1992-सात-9 (नजूल).—नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 33 सन् 1976) की धारा-2 के खण्ड (डी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम (2) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची से कालम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिये नगर भूमि सीमा (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनु.क्र.	अधिकारी का नाम	नगर बस्ती समूह
(1)	(2)	(3)
1	श्री आलोक कुमार सिंह, अपर कलेक्टर.	इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्र. एफ-74-4-99-बीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल, प्रबन्ध मण्डल की नियमावली 3 (ए) में दिये गये प्रावधानों के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-74-4-99-बीस-2, दिनांक 17 जुलाई 2009 को निरस्त करते हुए केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल के प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित करता है:—

1. सदस्य

3ए 1. श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल, महामंत्री भाजपा, निवासी 2/13, सौरभ कालोनी, चांदबड़, भोपाल, म. प्र.

2. श्री महेश मकवाना, पार्षद, नगर निगम भोपाल, निवासी रेजीमेन्ट रोड, शाहजहानाबाद, भोपाल, म. प्र.

3. श्री नंदकिशोर राठौर, भाजपा कार्यालय प्रभारी, भोपाल, 87 पटेल नगर, भारत टाकिज के पास, भोपाल, म. प्र.

4. श्री गोपाल तिवारी, भाजपा मण्डल, अध्यक्ष, बस स्टेण्ड भोपाल, राजदेव कालोनी, बैरसिया रोड, भोपाल, म. प्र.

2. शासकीय सदस्य

3बी 5. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

3सी 6. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3डी 7. प्राचार्य केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल, मध्यप्रदेश

3. दानदाता सदस्य

3ठ 8. श्री अनिल अजमेरा, सामाजिक कार्यकर्ता, एस-2, रामेश्वर अपार्टमेन्ट, लालघाटी, भोपाल.

9. श्री ललित तांतेड़, सामाजिक कार्यकर्ता, आशापुरा दरबार, कोहेफिजा, भोपाल.

4. विधायकगण

3एफ 10. श्री उमाशंकर गुप्ता, मा. मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, ई-22, 45 बंगले, भोपाल, म. प्र.

11. श्री ब्रम्हानंद रत्नाकर, मा. विधायक, एमएलए, रेस्ट हाउस, भोपाल, मध्यप्रदेश,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा इवनाती, उपसचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012

फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक)-2655-12.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	श्री एन.पी.सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3 के विशेष न्यायाधीश, (विद्युत् अधिनियम), ग्वालियर एवं पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2, ग्वालियर.	ग्वालियर	राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर का समाविष्ट क्षेत्र.".

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 17(E)-8-2012-XXI-B(One)-2655-12.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Niyam, 2012, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notififcation F. No. 17(E)-8-2012-XXI-B(One), dated 02nd March, 2012, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Authorised Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Shri N. P. Singh, Ist Additional Sessions Judge, Special Judge of Special Court No. 3 (Electricity Act), Gwalior and Presiding Judge, Special Court No. 2 Gwalior.	Gwalior	Area comprising of revenue district, Gwalior, Shivpuri Guna and Ashokngar.".

This Notification shall come into force with immediate effect.

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011-2656-12.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 83/03/इक्कीस-ब (1), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 26, 27 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	देवास	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास	श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.
26-ए	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.	श्री अनिल कुमार भाटिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.
27	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.	श्री आर. आर. भारतीय, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.
28	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.	श्री कौशिक चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कन्नौद.".

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-(one)-3056-11-2656-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (1), Dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial number 26, 27 & 28 and entries relating thereto, the following

serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	Dewas	IVth Additional Sessions Judge, Dewas	Shri Rajesh Kumar Gupta, IVth Additional Sessions Judge, Dewas.
26-A.	Dewas	Additional Sessions Judge, Bagli.	Shri Anil Kumar Bhatia, Additional Sessions Judge, Bagli.
27.	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatch.	Shri R. R. Bhartia, Additional Sessions Judge, Sonkatch.
28.	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod.	Shri Kaushik Chouhan, Additional Sessions Judge, Kannod.".

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011-2656-12.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 83/03/इक्कीस-ब (1), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 26, 27 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	देवास	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास	सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26-ए, 27 एवं 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
26-ए	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.	बागली का विद्युत् क्षेत्र.
27	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.	सोनकच्छ का विद्युत् क्षेत्र.
28	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.	कन्नौद एवं खातेगांव का विद्युत् क्षेत्र.".

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E) 83-03-3056-XXI-B-(one)-011-2656-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (1), Dated 16th September, 2010 which was published in Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial number 26, 27 & 28 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (according to the electricty Area).
(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	Dewas	IVth Additional Sessions Judge, Dewas	All electricity Areas of Civil District Dewas (excluding the territorial jurisdiction given at serial No. 26-A, 27 & 28).
26-A.	Dewas	Additional Sessions Judge, Bagli.	Electricity Area of Bagli.

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatch.	Electricity Area of Sonkatch.
28.	Dewas	Additional Sessions' Judge, Kannod.	Electricity Area of Kannod & Khategaon.''.

Note:—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2012

फा. क्र. 1 अ-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012, 14 अगस्त 2012 एवं 11 सितम्बर 2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

संशोधन

आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012 एवं 14 अगस्त 2012 में श्री योगेश दांडे, विधि अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर के नाम के सम्मुख अंकित ''शासकीय अधिवक्ता'' के स्थान पर ''उप शासकीय अधिवक्ता'' पढ़ा जावें.

आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012, 14 अगस्त 2012 एवं 11 सितम्बर 2012 अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारी, श्री प्रवीण निवासकर के नाम के सम्मुख अंकित ''शासकीय अधिवक्ता'' के स्थान पर ''उप शासकीय अधिवक्ता'' पढ़ा जावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र. एफ-1-2-12-रा.स.-यू.ए. 1-1518.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 (क्र. 4 सन् 2009) की धारा 15 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं राम नरेश यादव, कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्द्वारा डॉ. अनिल कुमार सिंह, उप महानिदेशक (प्रा.सं.प्रा.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि अनुसंधान भवन-II पूसा, नई दिल्ली-110012 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत निर्मित परिनियम के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र. 7281-2193-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5357-2193-अका-विपप्र-2012, दिनांक 6 जुलाई 2012 को जारी की गई थी, में भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. कंचन लाल निरापुरे, कराधान सहायक अंकित है के स्थान पर अब कु. कंचन लता निरापुरे कराधान सहायक पढ़ा जाए.

क्र. 7285-2192-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया सम्पन्न हुआ था, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये रहता है की अधिसूचना क्रमांक 5104-2192-अका-विपप्र-2012, दिनांक 26 जून 2012 को जारी की गई थी, में

निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	संशोधन
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	कु. कंचन लाल निरापुरे कराधान सहायक.	कु. कंचन लता निरापुरे कराधान सहायक.
	उच्चस्तर	
	ग्वालियर संभाग	
2	श्री विजय महाजन कराधान सहायक.	श्री विजय श्रीवास्तव कराधान सहायक.

क्र. 7287-2200-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 4876-2200-अका-विपप्र-2012, दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी, में शहडोल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री ओ. पी. गोस्वामी, सहायक वन संरक्षक, अंकित है के स्थान पर श्री ओ. जी. गोस्वामी, सहायक, वन संरक्षक, पढ़ा जाए.

क्र. 7289-2186-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5533-2186-अका-विपप्र-2012, दिनांक 10 जुलाई 2012 को जारी की गई थी, में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री एस. के. मिश्रा, वनक्षेत्रपाल, अंकित है के स्थान पर श्री एस. पी. मिश्रा, वनक्षेत्रपाल, पढ़ा जाए.

क्र. 7291-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-सिविल पशु चिकित्सा भाग-2 (पुस्तकें सहित) दिनांक 13 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ था, का विभागीय पत्र क्रमांक 4429-2012, दिनांक 2 जून 2012 को जारी किया गया था को निरस्त किया जाता है एवं उक्त प्रश्नपत्र में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	डॉ. संतोष कुमार डहेरिया	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ
2	डॉ. सविता पाण्डेय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
3	डॉ. वैशाली घोरमाडे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
	ग्वालियर संभाग	
4	कु. पायल जैन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

क्र. 7293-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-सिविल पशु चिकित्सा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) दिनांक 13 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ था, का विभागीय पत्र क्रमांक 4440-2012, दिनांक 2 जून 2012 को जारी किया गया था को निरस्त किया जाता है एवं उक्त प्रश्नपत्र में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	जबलपुर संभाग	
1	डॉ. संतोष कुमार डहेरिया	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ
	निम्नस्तर	
	ग्वालियर संभाग	
1	कु. पायल जैन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
	निम्नस्तर	
	जबलपुर संभाग	
2	डॉ. सविता पाण्डेय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
3	डॉ. वैशाली घोरमाडे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

क्र. 7295-2199-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मई 2012 एवं अधिसूचना दिनांक 2 जून 2012 को जारी की गई थी, के प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय में आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नानुसार परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	रीवा संभाग	
1	श्री श्रंगार श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
2	श्री शैलेन्द्र सिंह	डिप्टी कलेक्टर

क्र. 7297-7076-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा माह जुलाई, 2011 की विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा संचालित की गई थी, की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-89-2011-दोए-3, दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय में श्री दीपक कुमार वैध, डिप्टी कलेक्टर, जिला हरदा को उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

क्र. 7299-2128-अका-विपप्र-2012-**संशोधन.**—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जून -2012 एवं अधिसूचना

क्रमांक 4655-2200-अका-विपप्र-2012, दिनांक 11 जून 2012 को जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षा सुश्री तृप्ति श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, जिला राजगढ़ प्रश्न पत्र लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय में, गृह विभाग के नियमानुसार उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम), बैतूल, जिला बैतूल (मध्यप्रदेश)

बैतूल, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्र. 1242-48-2012.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर, बैतूल, जिला बैतूल, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 (3) के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्द्वारा करता हूं :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला बैतूल (म. प्र.)

धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार—

1	कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बैतूल जिला बैतूल (म. प्र.).	अध्यक्ष

धारा 13 (2) खण्ड (ख) के अनुसार—

1	श्री बरातीलाल कोरे, मु. पो. पाटाखेड़ा, चिचोली, जिला बैतूल.	सदस्य
2	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, मु. कुण्डबकाजन पो. आदर्श दनोरा, भैसदेही.	सदस्य
3	श्री प्रशांत मांडवीकर, गणेश वार्ड सिविल लाईन बैतूल, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार—

1	श्रीमती हेमलता कुंभारे पार्षद मोती वार्ड कोठी बाजार, बैतूल	सदस्य
2	श्रीमती विमला बाई परते, पार्षद, अर्जून वार्ड खंजनपुर, बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (घ) के अनुसार—

1	पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल	सदस्य
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल.	सदस्य
3	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (ङ) के अनुसार—

1	प्रबंधक, अग्रणी सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बैतूल.	सदस्य

1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग बैतूल

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल (म. प्र.).	अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

1	श्रीमती ममता बाई भट्ट, दुर्गा वार्ड, बैतूल	सदस्य
2	श्री बाबूलाल जौन्जारे, मु. पो. बांसपानी, तह. जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

1	श्री पूरन साहू, मु. शंकर नगर, बैतूलगंज बैतूल.	सदस्य
2	श्रीमती ममता यादव, पार्षद, सदर बैतूल	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

1	तहसीलदार, बैतूल	सदस्य
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चिचोली.	सदस्य
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

1	प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बैतूल.	सदस्य

2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, शाहपुर

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुरा (म. प्र.).	अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

1	सज्जन सिंह उइक, (विधायक) वि. स. क्षेत्र घोड़ाडोंगरी, बैतूल.	सदस्य
2	श्री दीपक उइके, (अध्यक्ष ज. पं.), मु. पो. घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल.	सदस्य
3	श्री मनोहर चौरे, मु. पो. शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

1	श्री संतलाल हनोते, मु. पो. देशावाडी शाहपुर जिला बैतूल.	सदस्य
2	श्री सतीष मिश्रा, मु. पहावाड़ी, तह. शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

1	तहसीलदार, शाहपुर जिला बैतूल	सदस्य
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य
3	थाना प्रभारी, शाहपुर, जिला बैतूल	सदस्य
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घोड़ाडोंगरी.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

1	शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

1	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य

3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, मुलताई

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार.—

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई (म. प्र.).	अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार.—

1	श्री बाबूराव पाटिल, मु. पो. बिरूल बाजार, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य
2	श्रीमती लक्ष्मी बाई माहोरे, गांधी वार्ड, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य
3	श्री श्रवण हेमराज नागले, मु. ताप्ती वार्ड, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार.—

1	श्री बलराम सिंग वर्मा, (अधिवक्ता) मु. पो. मोरखा, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य
2	श्रीमती संगीता पिपरदे, जनपद अध्यक्ष मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

1	तहसीलदार, मुलताई, जिला बैतूल	सदस्य
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुलताई.	सदस्य
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आमला.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

1	शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,, ज. पं. प्रभात-पट्टन, जिला बैतूल.	सदस्य

4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, भैंसदेही

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैंसदेही (म. प्र.).	अध्यक्ष

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

1	श्री सुनिल भलावी, जनपद अध्यक्ष, भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
2	श्रीमती फूलवती बाई, मु. पो. रतनपुर, वि. ख. भीमपुर, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
3	श्री कुन्दन राठौर, मु. पो. चुनालोमा, वि. ख. भीमपुर, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

1	श्री विजय शुक्ला, मु. पो. रतनपुर, वि. ख. भीमपुर, जिला बैतूल.	सदस्य
2	श्री ब्रहमदेव कुबडे, वार्ड क्र. 9, भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

1	तहसीलदार, भैसदेही, जिला बैतूल	सदस्य
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
3	परियोजना प्रशासक, आई. टी. डी. पी., भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ङ) के अनुसार—

1	शाखा प्रबंधक, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा भैसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (च) के अनुसार—

1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आठनेर, जिला बैतूल.	सदस्य

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय, कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

पत्र क्र. 894-पांच-2-2012.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम, जबलपुर के सीमा क्षेत्र में स्थित पं. द्वारका प्रसाद मिश्र बस स्टेण्ड (तीन पत्ती चौक के निकट) से बस स्टेण्ड संचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध किया जाता है तथा निम्नानुसार दो स्थानों को बस स्टेण्ड के संचालन हेतु एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

1. दमोह नाका चौक के निकट स्थित पं. ओंकार प्रसाद तिवारी बस स्टेण्ड (ख. नं. 33 रकबा 2.146 हे.)
2. मेडिकल कालेज तिराहे के निकट स्थित नगर निगम स्वामित्व की भूमि खसरा क्र. 310 का भाग 14,040 वर्गफीट.

दीपक खाण्डेकर,
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, जबलपुर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र.-क-6952-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये उजनेठी-पाटन मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	शाहगढ़	डिलौना	43	0.67	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/सं.) संभाग, सागर (म. प्र.)	उजनेठी-पाटन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम डिलौना की भूमि का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—उजनेठी-पाटन मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 9164-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 ''क'' के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हंडिया	जोगाखुर्द	7.349	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9166-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 ''क'' के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हंडिया	कालीसराय	4.416	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9168-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 ''क'' के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हंडिया	भैसवाड़ा	12.685	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9170-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 ''क'' के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हंडिया	सिरालिया	11.658	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9172-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 ''क'' के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हंडिया	महेन्द्रगांव	4.669	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 561-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12-5266.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	धमनीकला	1.503	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीकला की निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 562-प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12-5267.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	धमनीखुर्द	1.472	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीखुर्द की निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 563-प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12-5268.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	कदौहा	3.453	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम कदौहा की निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. 6795-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चांद	साजपानी ब. नं. 272, प. ह. नं. 39, रा. नि. मं. चांद	रकबा 0.260 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	सांख हलालखुर्द मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रुप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6796-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चांद	पिपरियाखाती ब. नं. 167, प. ह. नं. 40, रा. नि. मं. चांद	रकबा 0.543 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	टॉप बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6797-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चांद	टॉप, ब. नं. 111, प. ह. नं. 40, रा. नि. मं. चांद.	रकबा 0.413 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	टॉप-बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 6798-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चांद	बांसखेड़ा, ब. नं. 205, प. ह. नं. 42/90, रा. नि. मं. चांद.	रकबा 0.745 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	टॉप-बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 1529-12-पत्र क्र. . . . भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नरवार कला	0.335	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मैहर, जिला सतना.	नरवार तालाब योजना हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 2794-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	सांडा (शिवराजपुर)	4.45	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	दुअरा माइनर नहर के निर्माण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2796-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	दुअरा	7.37	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	दुअरा माइनर नहर के निर्माण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2815-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	दुलहरा पवाई	1.900	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं.-3 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2817-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	राजगढ़	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं.-3 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2819-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सगौना	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योंटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत सगौना सब माइनर नं.-2 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2831-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पटेहरा	0.340	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2833-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधितों व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बरहा 345	0.720	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2835-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बरहा 344	3.120	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2837-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बगढ़ा 338	3.200	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योंटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 1562-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 36-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	खुटवाड़ी	3.672	कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	3.672		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1561-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 37-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	केरमला	2.019	कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	2.019		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र. 1599-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 40-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है

अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	बलवाड़ी	0.703	कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	0.703		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1598-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 41-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	वरला	1.125	कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	1.125		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2012

प्र. क्र.-04-अ-82-भू-अर्जन-जबलपुर-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	भेड़ाघाट प.ह.नं. 24, न.ब. 355.	0.06	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् भेड़ाघाट, जबलपुर.	रोड़ का निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			निजी भूमि		
खण्डवा	हरसूद	गंभीर उबारी	20.37	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3, में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	सोमगांव खुर्द	निजी भूमि 24.49	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3, में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-118-(अ-82) 2011-12-455.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	किकरिया, प.ह.नं. 57, रा.नि.मं. समनापुर.	निजी भूमि—		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	रनगांव जलाशय बायीं तट नहर कार्य हेतु.
			301	0.136		
			300/1	0.048		
			300/2	0.040		
			299	0.092		
			272/2	0.020		
			272/1	0.020		
			270/1	0.016		
			270/2	0.016		
			269	0.132		
			192	0.112		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			189	0.176		
			147	0.008		
			149/1	0.022		
			149/2	0.022		
			150	0.128		
			151/1	0.060		
			151/2	0.068		
			152	0.016		
			153/1	0.046		
			153/2	0.046		
			153/3	0.046		
			142	0.112		
			143/1	0.040		
			143/2	0.040		
			योग . .	1.462		
			शासकीय भूमि			
			271, 268,	0.144		
			महायोग . .	1.606		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-119-(अ-82) 2011-12-455.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	रनगांव	निजी भूमि—		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी	रनगांव जलाशय बायीं तट नहर कार्य हेतु.
		प.ह.नं. 58	302	0.044		
		रा.नि.मं.	289	0.016		
		समनापुर	287/1	0.025		
			287/2	0.025		
			287/3	0.025		
			287/4	0.025		
			287/5	0.025		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			287/6	0.025		
			287/7	0.025		
			282	0.030		
			284	0.128		
			285	0.060		
			250/1	0.108		
			250/2	0.108		
			249	0.048		
			248/1	0.005		
			248/2	0.005		
			248/3	0.005		
			238	0.128		
			237	0.068		
			233/1	0.034		
			233/2	0.034		
			233/3	0.034		
			233/4	0.034		
			227/1	0.005		
			227/2	0.005		
			226	0.028		
			225	0.108		
			224	0.020		
			223	0.048		
			218	0.100		
			215/1	0.034		
			215/2	0.034		
			214	0.024		
			213	0.064		
			182	0.052		
			181	0.024		
			179/1	0.068		
			179/2	0.068		
			योग . .	1.746		
			शासकीय भूमि			
			180, 219	0.042		
			महायोग . .	1.788		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. 1528-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	दावरअली	49	0.15	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय दांयी तट (लालपुर पिक-अप वियर के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु.
			50	0.22		
			51	0.03		
			54	0.20		
			योग .	0.60		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. 2905-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कपसा	0.281	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2907-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रहट	2.177	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2911-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमोर	नदना	1.551	कार्यपालन यंत्री, बाणसाागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	नेवूहा वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 8-अ-82-2010-11 क्र. 309-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि /परिसम्पत्ती की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि /परिसम्पत्ती की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर

(ख) तहसील—बड़ौद

(ग) ग्राम—मदकोटा (नलिया खेड़ा)

(घ) लगभग क्षेत्रफल —डूब में आ रहे 27 कच्चे पक्के मकान.

सर्वे नम्बर	अर्जनीय रकबा/ परिसम्पत्ती
(1)	(2)
शासकीय भूमि सर्वे नं. 110 ग्राम आबादी	0.35 हैक्टे. में स्थित ग्राम आबादी की परिसम्पत्ति 27 कच्चे/ पक्के मकान 27 नं.

नोट.—(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि/परिसम्पत्ति की आवश्यकता है.—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली ग्राम आबादी (मकान) अधिग्रहण बाबत्.

(2) भूमि/आबादी के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. 6793-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम— ग्राम आंबाझिरी,
प. ह. नं.-02,
ब. नं.-01,
रा. नि. मंडल-उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—09.816 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3	0.130
4/2	0.934
1/4	0.386
4/5	0.190
18/3	0.454
1/5	0.400
4/6	0.400
1/6	0.290
4/3	0.091
18/1	0.165
1/7	0.555
1/8	0.010
1/9	0.006
4/8	0.091
18/6	0.267
2/1	0.162

(1)	(2)
2/2	0.162
2/3	1.028
2/4	0.685
2/5	1.044
2/6	0.243
4/1	1.044
4/4	0.100
4/7	0.200
18/4	0.474
6/1	0.020
6/5	0.185
6/6	0.100
योग . .	09.816

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6794-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम— ग्राम आंबाझिरी,
प. ह. नं.-02,
ब. नं.-01,
रा. नि. मंडल-उमरेठ.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—09.034 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
9/4	0.015
9/5	0.304
10/1	0.006
23/1	1.500
10/2	0.080
23/2	2.682
11	0.050
12	0.040
24/1	0.024
13/1	0.015
13/2	0.015
13/3	0.006
17	0.020
18/2	1.550
18/5	0.502
21	2.225
योग . .	09.034

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 246-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—ससल्या खुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—60.809 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7/3	0.130
10/2	0.070
17	0.920
18	0.085
19	0.165
21	0.971
22	4.617
24	0.506
25/1	0.344
25/2	1.518
25/3	0.392
25/4	0.486
27	3.658
28/1	0.291
28/2	0.392
28/3	0.243
28/4	0.154
29	2.023
30/1	0.583
30/2	0.591
30/3	0.583
31/1	0.526
31/2	0.526
32/1	0.672
32/2	0.809
32/3	0.809
32/4	0.672
33/1	2.297
33/2	2.305
34	0.350
35	0.090
39/2	0.820
40/1	0.190
40/2	
40/3	0.809
40/4	
40/5	1.178
40/6	
40/7	0.963
40/8	
40/9	0.405
41	0.202
44	0.709
45	0.607
46	0.518
47/1	1.349
47/2	0.405
47/3	1.350
48	1.493
49/1	1.874
49/2	0.829
50 /1	1.639
50/2	0.595
50/3	0.075
66/4	0.010
66/5	0.215
66/6	0.630
73	0.060
75/1	0.435
75/2	1.417
75/3	1.692
75/4	1.693
75/5	0.809
75/6	1.618
75/8	0.809
76/1	0.223

(1)	(2)
76/2	1.043
76/3	1.271
77	0.999
79	1.092
81/5	0.770
81/6	0.060
81/7	0.080
81/8	0.290
82/1	0.610
82/2	0.550
82/3	0.205
87	0.060
90/1	0.380
योग . .	60.809

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के रिजरवायर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 245-भू-अ.-2012-प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम—ससल्या बुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—66.907 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.461
3	1.943
4/1	1.886
4/2	4.071
4/3	2.978
4/4	0.081
5/1	0.922
5/2	1.032
5/3	0.089
5/4	0.200
6/1	1.076
6/2	1.263
6/3	1.267
7	0.809
8	1.377
9	1.942
11	0.097
12	1.109
13/1	0.227
13/2	5.702
13/3	0.453
13/4	0.373
13/5	0.429
13/6	0.429
13/7	0.639
14/1	0.886
14/2/1	0.669
14/2/2	0.809
14/3	1.910
14/4	0.425
14/5	0.809
14/6	0.203
14/7	0.202
14/8	0.089
15/1	1.521
15/2	1.522
16/1	0.668
16/2	0.567
16/3	0.567
16/4	0.946
16/5	0.364
16/6	0.344
16/7	0.344
17	0.137
19	0.243
20	3.432

(1)	(2)
21	2.234
22	2.804
23/1	0.539
23/2	0.270
26	0.934
27/1	0.947
27/2	0.526
28/1	0.850
28/2	0.769
29/1	0.939
29/2	0.939
30	0.243
31	1.769
33	0.761
48	0.024
49	0.024
50	0.024
66/3	0.050
66/4	0.250
66/6	0.570
67	1.455
68/1	0.225
68/2	0.075
69	0.030
70	0.460
71	0.572
72/1	0.650
72/2	0.217
72/3	0.245
योग . .	66.907

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के रिजरवायर एवं मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर, के कार्यालय में, अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 243-भू-अ.-2012-प्र. क्र. 18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—गढी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.154 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 241-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—समसपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.235 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2	0.310

(1)	(2)
2	0.480
4/1/1/1	0.790
4/1/2	0.280
6/1	0.470
6/2	0.580
6/3	0.550
55/2, 56/2	1.240
57/1, 58/1	0.475
55/1, 56/1, 57/5	0.380
58/2	0.200
60/1	0.800
60/2	1.030
61	0.140
62/2	0.510
कुल रकबा . .	8.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 239-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—मोहना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—26.972 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
40/1, 40/2	0.075
41/1	0.060
43/1/1	0.440
43/1/2/1, 43/2/2/1	0.690
43/1/2/2, 43/2/2/2	0.900
44	0.121
51	0.010
53	0.230
54	0.280
55/1	-
56/1	0.279
57	0.150
58	0.700
64/1	0.830
64/2	0.500
64/3	0.050
194/1, 198/1, 199/1	0.050
200/2	0.588
216/2	0.430
218	0.420
220	0.020
221	0.140
222	0.220
223	0.200
224	0.100
225/2	0.010
226	0.010
271	0.600
272/2	0.025
273	0.430
274	0.010
334/2	0.070
335/1	0.160
335/2	0.230
335/3	0.200
338/1	0.030
338/2/1	0.426
338/2/2	0.260

(1)	(2)
338/3	0.160
342/1/2	0.708
342/1/3	0.260
355/1	0.380
355/2	0.550
356/1/2	0.650
356/2	2.400
356/3	0.340
376/2	0.620
377	0.194
358/1	0.090
358/2	0.165
358/3/1	0.230
358/3/2	0.230
358/4	0.050
358/5	0.020
378/476/1	0.526
378/476/3	0.324
378/476/4	0.264
378/476/5	0.283
378/476/6	0.350
378/476/7	0.113
378/476/8	0.020
378/476/9	0.100
378/477	0.081
378/478/1	0.820
378/478/2	0.809
394/1	1.214
394/5 | 394/11	1.050
394/9 | 394/10/1	0.417
394/10/2	0.417
394/10/3	0.417
394/10/5	0.120
394/10/6	0.834
442/1	0.344
442/2	0.324
442/3	0.324
442/4	0.610
442/5	0.220
कुल रकबा . .	26.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 240-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 21-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—पाडल्याखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.434 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
107	0.025
108	0.198
109	0.100
110/4	0.220
122 | 123 | 125	1.142 | 0.207 | 0.032
134	0.410
135	0.100
कुल रकबा . .	1.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 244-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 22-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—हीरापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.215 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
100/2	0.620
102/2, 103/2	0.860
102/3, 103/3	0.060
104	0.410
108/1	0.650
108/3	0.030
132/2/1	0.430
132/2/2	0.450
135/1, 135/2	0.445
135/3	0.525
135/4, 135/5	0.400
136	0.020
137	0.020
138/1	0.135
146	0.160
कुल रकबा . .	5.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 238-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 23-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—आशापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—24.196 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
59/4	0.065
59/5	0.344
59/6	0.205
60/2, 61/1	0.540
61/2	0.315
61/3/3	0.035
61/3/4	0.097
61/3/5	0.093
61/3/6	0.089
61/3/7	0.045
61/4/1	0.140
61/4/2	0.170
61/5, 62/2	0.145
61/6, 62/3	0.160
61/7/7	0.025
61/7/8	0.032
61/7/9	0.032
61/7/10	0.024
63/4, 64/4, 65/4	0.190

(1)	(2)
75/1	0.140
75/2	0.085
75/3	0.065
75/4	0.140
75/5	0.050
75/6	0.250
75/7	0.040
76/1	
76/2	0.075
81	
82/3	0.080
83/1	0.325
83/2	0.050
83/3	0.401
83/4	0.234
84/3	0.060
85/3	
84/4	0.265
85/4	
86/2	0.230
127/2	
86/4	0.110
127/4	
86/5	0.715
127/5	
86/6	0.571
127/6	
86/8	1.255
127/8	
87/1/2	0.050
87/2	0.010
87/4	0.010
96/3	0.715
99/2	0.170
101	0.500
102	0.450
103	0.030
104	0.010
106	0.150
107/3/1क	
106	0.170
107/3/2क	
106	0.325
107/3/3क	

(1)	(2)
106	0.260
107/3/4क	
106	1.340
107/3ख	
106	0.075
107/3ग	
106	0.250
107/3/1ख	
106	0.220
107/3/1 ग	
106	0.235
107/3/2 ग	
106	0.280
107/3/3	
106	0.170
107/3/4	
106	0.180
107/3/5	
106	0.155
107/3/6	
106	0.190
107/3/7	
106	0.170
107/3/8	
106	0.230
107/3/9	
108/1	0.125
128	0.049
131/1	0.240
131/2	0.243
131/3	0.194
131/4	0.190
131/5	0.133
132/1	0.220
132/2	0.100
133/1	
133/2	1.500
133/3	
133/4	
134/2/1	0.005
134/2/2	0.010
134/3/1	0.015
134/3/2	0.005
160/2	0.650

(1)	(2)
160/3	0.345
160/4	0.180
161/1	0.275
161/2	0.410
161/3	1.530
161/4	0.275
162/1/9	0.040
162/1/14	0.480
162/1/15	0.515
162/1/16	0.040
162/2	1.675
213/1	0.410
213/2	0.110
कुल रकबा . .	24.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 242-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 24-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

(ग) ग्राम—करही

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.835 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
119	0.070
120/1/1	0.070
206/4	0.040
206/5	0.170
207/1	0.705
207/2	0.320
216	0.330
214/1, 215/1	0.730
217	0.385
228	0.065
229	0.010
230	0.015
231	0.040
232, 233, 234, 235	0.800
236/2	1.015
236/3	0.020
237	0.050
कुल रकबा . .	4.835

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 09-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—गुर्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.67 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
474	0.05	0.02
475	0.53	0.15
388	0.65	0.14
389	0.57	0.11
390	0.28	0.04
391	0.64	0.12
452	0.15	0.04
453	0.21	0.04
454	0.35	0.09
548	0.28	0.09
551	0.54	0.12
552	0.50	0.07
444	0.55	0.02
443	0.53	0.09
458	0.09	0.01
556	0.52	0.09
558	0.39	0.01
1126	0.22	0.07
1125	0.13	0.04
1132	0.48	0.16
1121	0.13	0.02
1120	0.55	0.01
561	0.57	0.10
970	0.15	0.05
971	0.35	0.06
972	0.02	0.02
958	0.98	0.24
951	0.93	0.16
952	0.30	0.02
927	0.47	0.16
932	1.40	0.13
933	0.45	0.01
935	0.81	0.12
1124	0.15	0.02
549	0.11	0.01
527	0.24	0.01
457	0.33	0.01
	योग . .	2.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की गुर्री मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 62-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—गोबई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.770 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
400	0.61	0.030
391	0.78	0.090
387	0.29	0.070
390	0.11	0.050
392	0.53	0.080

(1)	(2)	(3)
393	0.010	0.010
386	0.25	0.060
394	0.56	0.020
385	0.39	0.100
383	0.31	0.090
384	0.16	0.040
382	0.84	0.130
	कुल रकबा . .	0.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/ रशीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 64-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—ईकहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.695 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
304	0.200	0.010
253	0.740	0.090
311	1.000	0.060
310	1.360	0.010
305	0.100	0.100
252	0.840	0.110
254	1.200	0.270
255	2.610	0.070
12/1	0.840	0.020
307	0.420	0.010
308	0.380	0.130
309	0.860	0.240
15	1.460	0.260
251	1.080	0.250
246	0.650	0.180
248	0.780	0.170
150	1.010	0.030
148	0.500	0.180
145	2.930	0.500
143	0.380	0.30
107	0.640	0.010
104	0.310	0.130
13	2.420	0.420
14	1.980	0.010
114	0.280	0.140
115	0.410	0.050
106/मि-2	0.390	0.380
106/मि-1	1.050	
105	0.920	0.170
103	0.360	0.300
102	1.750	0.030
94	1.060	0.020
92	1.120	0.045
306	1.000	0.270
	कुल . .	4.695

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/ रशीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र. 5056-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—कोटरो
(घ) क्षेत्रफल—39.65 हेक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
426	0.84
427	1.65
552	1.21
556	0.22
561	2.63
568	1.64
569	2.47
693	1.21
42	2.02
591	0.03
601	1.24
602	0.40
640	0.38
656	2.39
655	0.04
673	1.79
680	0.04
555	0.13
558	2.16
566	1.11
567	2.60
592	1.88
605	0.55
557	0.99
484	2.64
507	0.04
508	0.08
562	3.91
553	0.03
554	3.33
कुल योग . .	39.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 5058-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—चुनगुना
(घ) क्षेत्रफल—12.64 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
53	0.94
55	1.30
665	1.62
750	0.82
757	1.18
758	0.36
130	0.30
733	1.00
114	1.29
139	0.81
238	0.48
178	0.46
714	0.07
740	1.47
247	0.08
715	0.46
कुल योग . .	12.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र.-भू-अर्जन-107-अ-82-2011-12-453-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—बिलगांव प. ह.नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.440 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
157	1.100
154	0.480
153	0.120
158	0.300
92	0.220
91/1	0.340
91/2	0.060
90	0.210
89	0.220
93/3	0.100
97/3	0.110
88	1.100
98	0.040
100	0.200
101	1.000
106	0.020
110	0.030
113	0.020
114	0.300
115	0.500
116	0.800
117	0.300
128/1	0.300
128/2	0.080
128/3	0.330
129	0.330
130	0.140
467/1	0.100
468	0.130
469	0.120
470	0.400
471	0.330
473/1	0.400
474/1	0.060
476	0.120
542	0.330
541	0.220
543	0.060
544	0.020
545	0.130
540	0.160
537	0.210
536	0.040
546	0.850
550	0.100
551	0.160

(1)	(2)
557/1	1.800
566/2	0.100
556/1	0.740
567	0.400
568	0.120
569	0.400
571	0.040
614	0.020
617/1	0.370
617/2	0.300
618	0.600
621/1	0.300
613	0.120
698/1	0.040
699	0.460
कुल योग निजी भूमि:	18.50
शासकीय भूमि— 156, 108, 515, 466, 472, 475, 477, 478, 622, 539, 537, 570, 571, 571, 610, 700	3.940
कुल योग :	22.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-108-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—सूरजपुरा प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.190 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
3	0.220
7	0.050
8	0.090
9	0.450
10	0.100
29	0.120
30	0.180
31	0.160
32	0.400
34	0.100
40	0.500
73	0.100
107	1.030
70	0.300
71	0.200
69	0.430
66	0.950
60	0.060
61	0.900
62	0.270
55	0.240
56	0.650
57	0.090
58	0.550
59	0.420
224	1.100
230/2	0.200
253	0.130
254	0.700
255	0.300
256	0.680
257	0.160
258	0.060
260	0.470
261	0.150

(1)	(2)
263	1.100
264	0.110
265	0.210
267	0.480
267	0.200
कुल योग निजी भूमि:	14.61
शासकीय भूमि—	
4, 77, 74, 75, 76, 231	0.580
कुल योग :	15.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-109-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—सग्रामपुर मा. प.ह.नं.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.140 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
नहर कार्य निजी भूमि	
102	0.050
103	0.200
106	0.020
108	0.140
133/3	0.040
90	0.100
87	0.270
135	0.040
84	0.030
82	0.020
80	0.110
79	0.250
78	0.230
77	0.040
74	0.080
144	0.200
146	0.110
147	0.130
66/1	0.360
150	0.160
156	0.360
153	0.270
232/1	0.080
233	0.160
236	0.250
237	0.100
143/1	0.120
143/2	0.120
योग नहर कार्य निजी भूमि:	4.040
शासकीय भूमि—	
104, 105, 107, 133/1, 89, 88, 85, 151	1.100
कुल योग :	5.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-110-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—बिलगांव प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.95 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
701	0.340
702	0.450
703	1.050
704	0.870
706/1	0.630
604	0.400
605/1	0.090
607	1.080
609	0.080
614	0.680
568	0.270
616	0.140
617/2	0.070
618	0.050
595	0.200
581	0.850
580	0.050
550	0.100
554	0.870
578	0.300
569	0.290
571	1.750
556	0.200
699	0.500
566/2	0.160
557/1	0.440
551	0.250
552	0.090
553	0.090
555	1.750
549	0.200
548	0.110
655/1	0.290
655/2	0.110
656	0.520
654	0.400
657	1.200
650	1.000
647	0.480
652	0.590
651	0.160
653	1.270
648	0.460
631	0.400
641	0.080
642	0.400
649	1.150
639	0.400
605/2	0.050
557/2	0.800
557/3	0.730
कुल योग निजी भूमिः	24.890
शासकीय भूमि— 700, 705, 603, 606, 608, 615, 597, 583, 582, 579, 570, 565, 622, 643, 638, 572, 573, 574	7.060
कुल योग :	31.950

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-112-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—अमठेरा प.ह.नं.16

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.770 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकब (हे. में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
3	0.400
4	0.250
5	0.300
6	0.200
10	0.300
12/1	0.100
12/3	0.130
12/4	0.100
12/2	0.200
14/1	0.040
कुल योग निजी भूमि:	2.02
शासकीय भूमि—	
11, 13	0.750
कुल योग :	2.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-113-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—बरगा प.ह.नं. 64

(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.361 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
418	0.200
417	1.290
416/6	0.550
416/2	0.410
415	0.300
414	0.310
413/1	0.110
413/2	0.110
413/3	0.110
412	0.580
413/4	0.110
367/2	0.261
367/1	0.261
400/1	0.070
400/2	0.070
401	1.250
402	0.520
403	0.260
405	0.260
406	1.890
395	1.030
396	1.170
404	0.310
387	3.000
424/1	0.320
424/2	0.320
424/3	0.330
424/4	0.330
424/5	0.330
425	0.900
421	0.690
429	0.540
527	0.180
533	0.540
534/1	0.256

(1)	(2)
534/2	0.256
534/3	0.256
536	0.161
537	0.085
431/1	0.070
431/2	0.060
431/3	0.060
399	0.020
398	0.020
427	0.147
432	0.375
434	0.080
436	0.057
435	0.070
437/1	0.050
437/2	0.050
437/3	0.050
439	0.208
440	0.060
443/2	0.010
443/1	0.010
433/3	0.010
534/1	0.020
534/2	0.020
534/3	0.020
536	0.010
537	0.030
538/1	0.060
538/2	0.050
538/3	0.050
535/1	0.020
535/2	0.020
535/3	0.020
कुल योग निजी भूमि:	21.653
शासकीय भूमि— 532, 528, 443, 430, 426, 407, 397, 388, 430, 442, 532	5.708
कुल योग :	27.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरगा जलाशय (समनापुर) के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-114-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—राछो प.ह.नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.18 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
45	0.040
46	0.370
47	0.100
50	0.220
49/2	0.040
99/1	0.100
99/2	0.040
90/3	0.080
101	0.060
104	0.220
535	0.100
552	0.220
545	0.050
546	0.020
544	0.280
548	0.470
551	0.220
549	0.020
555	0.040
5	0.220

(1)	(2)
4	0.330
3	0.090
2	0.180
1	0.320
100	0.010
कुल योग निजी भूमि:	3.84
शासकीय भूमि—	
142, 102, 543, 527, 49/1, 132, 336, 542	0.340
कुल योग :	4.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-115-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कें पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—रनगांव प.ह.नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.27 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
412	0.060
424	0.020
459	0.390
496	0.120
425	0.060
457	0.380
498	0.280
455	0.060
456	0.120
452	0.020
494	0.020
493	0.530
497	0.120
500	0.030
502	0.960
503	0.010
512	0.390
514	0.260
369	0.020
346	0.040
349	0.800
233	0.120
350	0.090
232	0.380
196	0.040
170	0.060
331	0.030
195	0.300
199	0.030
188	0.040
कुल योग निजी भूमि:	5.78
शासकीय भूमि—	
461, 460, 411, 413, 415, 458, 429, 451, 449, 504, 348, 511, 328, 200, 189, 203, 186	5.490
कुल योग :	11.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-116-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—बंरगाव प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल—38.36 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
नहर कार्य निजी भूमि	
50	1.890
51	0.210
52	0.150
54	0.180
58	1.230
60	0.400
62	0.260
63	0.720
69	0.960
70	0.200
71	0.400
72	0.200
73	0.520
74	0.520
300	0.380
301	0.380
302	0.360
304	0.160
306	0.260
307	0.350
309	0.170
310	0.050
312	0.280
319	0.490
320	0.950
1551	1.050
1552	0.210
1553	0.400
1558	0.300
1559	0.160
1571	0.700
1572	0.700
1537	0.270
1538	0.700
1536	0.300
1535	0.400
1534	0.220
1533	0.900
1514	0.300
1515	0.200
1517	0.430
1593	0.340
1594	0.560
1595/1	0.200
1595/2	0.100
1595/3	0.100
1601/1	0.100
1601/2	0.360
1601/3	0.150
1605	0.420
1624	0.380
1622	0.300
1609	1.260
1608	0.200
1613	0.960

(1)	(2)
1614	0.080
कुल योग निजी भूमि:	24.42
शासकीय भूमि—	
53, 59, 61, 68, 303, 309, 308, 321, 1554, 1560, 1562, 1541, 1540, 1570, 1539, 1516, 1604, 1623, 1496, 1612	13.940
कुल योग :	38.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-117-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—मगेंला प.ह.नं. 43

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.60 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
नहर कार्य निजी भूमि	
168	0.750
169	0.040
235	0.060
234/1	0.310
232	0.400
231	0.100
230	0.020
249	0.560
229	0.450
257/1	0.150
251/2	0.150
258	0.200
262	0.060
259	0.140
256	0.130
260	0.130
261	0.280
263	0.200
266	0.550
267	0.080
285	0.040
286	1.010
283	0.820
282	0.270
280	0.180
279	0.110
340/1	0.080
344	0.450
345	0.040
346	0.420
350	0.420
351	0.030
349/1	0.180
234/2	0.300
कुल योग निजी भूमि:	9.11
शासकीय भूमि—	
226, 263, 285, 349/1	0.490
कुल योग :	9.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 2780-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—सजहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.35 हेक्टेयर.

घुघुंटा सब माइनर नहर निर्माण हेतु

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
704	0.02
705	0.02
706	0.03
707/1, 707/2	0.03
709	0.16
774	0.02
775	0.02
830	0.01
832	0.03
834	0.03
837	0.08
847	0.09
848	0.21
890	0.06
897	0.05
903	0.19
904	0.02
905	0.02
906	0.02
907	0.02
909	0.02
910	0.02
944	0.20
945	0.24
946	0.05
947	0.08
965	0.28
966	0.04
968	0.05
योग . .	2.11
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
717	0.02
735	0.04
736	0.04
843	0.10
845	0.02
902	0.02
योग . .	0.24
योग—(अ+ब) 35 किता रकबा . .	2.35

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 2.11 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा = 0.24 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2782-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित

किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—साडा शिवराजपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.89 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी भूमि का विवरण :		
251	0.39	0.09
252	0.35	0.03
253	0.40	0.07
277	0.15	0.04
275	0.55	0.10
276	0.48	0.11
228	0.40	0.04
227	0.13	0.05
230	0.86	0.06
231	0.19	0.04
250	0.75	0.07
171	0.70	0.04
172	0.48	0.02
173	0.27	0.06
175	0.92	0.12
176	0.18	0.01
301	0.11	0.01
302	0.05	0.02
303	0.13	0.01
304	0.16	0.01
305	0.10	0.05
308	0.13	0.08
316	0.35	0.02
317	0.59	0.13
300	0.13	0.01
299	0.16	0.04
274	0.47	0.06
273	0.08	0.02
754	0.07	0.02
759	0.14	0.02
760	0.630	0.05
756	0.13	0.02
757	0.02	0.02
755	0.03	0.01
751	0.07	0.02
791	0.09	0.01
790	0.14	0.03
749	0.10	0.02
798	0.06	0.02
799	0.05	0.02
802	0.07	0.02
803	0.63	0.06
823	0.09	0.05
822	0.12	0.6
820	0.06	0.04
821	0.04	0.01
885	0.11	0.03
886	0.09	0.03
898	0.09	0.02
897	0.05	0.01
899	0.08	0.03
895	0.13	0.02
927	0.06	0.02
928	0.09	0.02
957	0.12	0.03
959	0.08	0.03
989	0.18	0.04
986	0.16	0.02
988	0.03	0.03
997	0.290	0.07
996	0.16	0.04
995	0.07	0.03
1065	0.07	0.04
1066	0.06	0.03
1067	0.08	0.04
1068	0.04	0.03
1027	0.08	0.04
1047	0.11	0.04
1048	0.22	0.07
1076	0.11	0.02
1123	0.05	0.01
1124	0.04	0.03
1153	0.07	0.03
1152	0.02	0.01
1150	0.02	0.01
625	0.14	0.02
योग . .	22.07	2.80

(1)	(2)	(3)
	(ब) म. प्र. शासन की भूमि :	
229	0.07	0.02
307	0.17	0.07
योग . .	0.24	0.09

(अ) निजी भूमि 76 किता 2.80 हे.
(ब) शासकीय भूमि 2 किता 0.09 हे.
योग . . 78 किता 2.89 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2784-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—नकवेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.856 हेक्टेयर.

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
	(अ) निजी भूमि का विवरण :	
393	0.190	0.028
392	0.138	0.027
580	0.073	0.033
583/1	0.166	0.050
583/2	0.043	
584/1	0.100	0.060
584/2	0.208	
589/1	0.053	0.016
589/2	0.011	
588/1	0.020	0.010
588/2	0.220	
598/1	0.303	0.018
598/2	0.049	
671/1	0.693	0.043
671/2	0.016	
672	0.081	0.015
384/1	0.150	0.025
384/2	0.060	
397	0.129	0.030
396	0.093	0.038
395	0.328	0.050
394	0.150	0.032
391/1	0.057	0.050
391/2	0.113	
391/3	0.125	
387/1	0.089	0.030
387/2	0.057	
673/1	0.017	0.005
673/2	0.070	
678	0.016	0.013
680	0.093	0.010
684	0.134	0.024
685	0.624	0.050
687/1	0.042	0.029
687/2	0.029	
688/1	0.178	0.027
688/2	0.045	
689	0.202	0.030
665	0.129	0.026
696	0.089	0.005
697	0.118	0.037
708	0.299	0.113
710	0.065	0.006
831	0.283	0.035
829	0.109	0.005
827	0.069	0.023
828	0.117	0.016
652	0.304	0.010
653	0.049	0.010
695	0.053	0.024
669/1	0.065	0.020
669/2	0.016	
669/3	0.016	
669/4	0.178	

(1)	(2)	(3)
944	0.057	0.023
945	0.061	0.012
940	0.040	0.020
912/1	0.092	0.020
912/2	0.012	
914	0.020	0.010
670/1	0.065	0.042
670/2	0.162	
670/2क	0.105	
670/3	0.146	
670/2ख	0.072	
924	0.024	0.010
932	0.024	0.010
933	0.028	0.010
967	0.117	0.005
910	0.049	0.010
915	0.024	0.021
916	0.024	0.020
917	0.024	0.005
918	0.053	0.010
919	0.053	0.012
920/1	0.037	0.010
920/2	0.024	
921	0.073	0.013
922/1	0.037	0.013
922/2	0.036	
977/1	0.125	0.015
977/2	0.045	
832	0.162	0.032
940/1955	0.020	0.020
942/1957	0.016	0.015
933/1948	0.020	0.010
927/1947	0.024	0.010
184	0.077	0.005
406/1643	0.178	0.012
407/1644	0.008	0.006
968/1967/2	0.016	
843	0.040	0.010
844	0.024	0.013
845	0.0120	0.005
670/1830/1क	0.129	0.020
670/1830/2क	0.020	
668/1827	0.081	0.027
664/1823	0.020	0.020
650/1821	0.032	0.010
650/1820	0.045	0.011
802/1892	0.024	0.023
579/1741/1	0.020	
579/1741/2	0.060	0.045
580/1743	0.089	0.010
584/1747	0.057	0.016
586/1751	0.045	0.022
586/1752	0.040	0.010
386/1626	0.113	0.040
386/1627	0.073	0.013
386/1628/1	0.056	0.030
386/1628/2	0.056	
707/1844	0.049	0.010
941	0.028	0.016
650/1818	0.040	0.026
कुल योग . .	10.635	1.851

(ब) शासकीय भूमि

968/1967	0.05
महायोग : अ+ब=115 किता . .	1.856

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि, शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2786-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—झाझ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.19 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1.)	रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
2247/1, 2247/2	0.02
2248	0.05
2249	0.04
2255	0.08
योग . .	0.19
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण	
	00
योग—(अ+ब) 4 किता . .	0.19

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . . 0.19 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2788-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—घुघुंटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.12 हेक्टेयर.

घुंघुटा सब माइनर ग्राम-घुघुंटा

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
254	0.03
255	0.06
256	0.09
257	0.03
262	0.03
263	0.05
266	0.08
267	0.03
280	0.07
295	0.05
296	0.03
297	0.08
298	0.04
299	0.04
340	0.05
341	0.05
351	0.07
354	0.07
357	0.02
358	0.18
377	0.06
378	0.01
430	0.04
431	0.04
432	0.02
433	0.02
434	0.01
435	0.02
436	0.02
849	0.07
853	0.09
863	0.02
924	0.01
925	0.08
926	0.06
योग (अ) . .	2.73
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण :	
248	0.03

(1)	(2)
351	0.03
353	0.06
355	0.02
359	0.02
363	0.07
541	0.03
617	0.02
619	0.02
854	0.09
योग—(ब) . .	0.39
योग—(अ+ब) . .	3.12

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . . 2.73 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . . 0.39 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2790-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—रामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.58 हेक्टेयर.

हरिहरपुर सब माइनर ग्राम-रामपुर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
296	0.16
338/1, 338/2, 338/3	1.16
योग (अ) . .	1.32
(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण :	
336	0.02
365	0.18
366	0.06
योग—(ब) . .	0.26
योग—(अ+ब) . .	1.58

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . . 1.32 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . . 0.26 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2792-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—भितरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.22 हेक्टेयर.

भितरी सब माइनर ग्राम-भितरी

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
2478	0.16
2479	0.16
2481	0.06
2482	0.23

(1)	(2)
2483	0.13
2484	0.07
2515	0.10
2527/1/1, 2527/1/2, 2527/2, 2527/3, 2527/4, 2527/5, 2527/6	0.07
2528	0.07
2529	0.02
2530/1/1, 2530/1/2, 2530/2, 2530/3, 2530/4, 2530/5, 2530/6	0.01
2531	0.13
2532	0.03
2533	0.01
2535	0.08
2536	0.01
2551/1, 2551/2, 2551/3, 2551/4	0.01
2552/1, 2552/2, 2552/3, 2552/4	0.02
2553/1, 2553/2, 2553/3, 2553/4	0.14
2554/1, 2554/2	0.01
2555/1, 2555/2	0.02
2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4	0.01
2560/1, 2560/2	0.01
2561/1, 2561/2	0.16
2562	0.04
2629/1/1, 2629/1/2, 2629/1/3	0.08
2630	0.17
2635/1, 2635/2, 2635/3, 2635/4	0.13
2636/1, 2636/2, 2636/3, 2636/4	0.10
2638/1, 2638/2, 2638/3, 2638/4, 2638/5	0.04
2997	0.18
2999	0.34
3000	0.10
3007	0.01
3008/1, 3008/2	0.18
3009	0.01
3029	0.05
3038	0.20
3040	0.04
3042/1, 3042/2	0.08
3043/1, 3043/2	0.05
3047/1, 3047/2, 3047/3	0.07
3049/1, 3049/2	0.31
3051	0.03
3052	0.10
3053	0.06
3055/1, 3055/2	0.07
3060	0.02
3063/1, 3063/2	0.01
योग (अ) . .	4.19

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण :

2619	0.01
2637	0.02
योग—(ब) . .	0.03
योग—(अ+ब)= 51 किता . .	4.22

प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण . .	4.19 हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . .	0.03 हे.
योग :	4.22 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2798-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—झाझ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर.

पटेल टोला माइनर ग्राम-झाझ

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
516	0.02
517	0.14
518	0.03
519	0.04
544	0.01
548	0.03
549	0.02
550	0.03
553	0.03
554	0.02
562	0.06
564	0.07
565/1, 565/2, 565/3	0.06
569	0.01
570	0.05
571	0.02
572	0.01
575/1, 575/2	0.04
576	0.05
594	0.02
600/1, 600/2	0.03
623	0.08
637	0.04
638	0.06
639	0.01
640	0.02
647	0.15
648	0.04
650	0.04
655	0.02
664	0.11
720	0.11
721	0.09
722	0.02
527/3819ख	0.01
770/3820	0.02
योग (अ) . .	1.70
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण-शून्य	
	00
योग—(ब) . .	00
योग—(अ+ब) . .	1.70

प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण . . 1.70 हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . . निरंक
योग : 1.70 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2800-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—डिठौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.08 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
286	0.03
237	0.07
288	0.08
314	0.08
315	0.05
316	0.05
320	0.05
340	0.04
341	0.10
342	0.05
347	0.08
348	0.05
349	0.02
357	0.03
360	0.01
361	0.10
362/1, 362/2	0.08
363	0.08
364	0.04
योग (अ) . .	1.08
(ब) शासकीय भूमि का रकबा	0
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . .	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2802-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—रायखोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.01 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
100	0.02
113	0.02
126	0.09
128	0.03
129	0.01
132	0.03
133	0.03
134	0.01
136	0.03
137	0.02
138	0.02
139	0.05
140	0.03
141	0.01
152	0.06
153	0.05
160	0.01
199	0.02
200	0.02
205	0.04
206	0.01
207	0.03
208	0.02
210	0.03
212	0.06
213	0.02
214	0.07
237	0.02
263	0.05

(1)	(2)
264	0.02
265	0.02
267	0.07
269	0.03
270	0.03
271	0.02
272	0.08
273	0.10
276	0.03
277	0.05
278	0.01
279	0.02
280	0.02
309	0.02
314	0.01
315	0.08
318	0.02
1604/1, 1604/2	0.05
1607/1, 1607/2, 1607/3	0.04
1608	0.07
1609	0.04
1612	0.04
1613	0.05
1620/1, 1620/2	0.11
1621	0.03
1622	0.04
1623	0.03
1624	0.04
1627/1, 1627/2	0.04
1628	0.03
1632	0.07
1633	0.18
1640	0.06
1641	0.01
1642	0.01
1658	0.24
1672/1, 1672/2, 1672/3, 1672/4	0.21
योग (अ) . .	2.93

(1)	(2)
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण :	
196	0.02
238	0.04
1657	0.02
योग—(ब) . .	0.08
योग—(अ+ब) . .	3.01

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . . 2.93 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . . 0.08 हे.

महायोग : 3.01 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2805-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—टाटा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.016 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
185	0.016
योग . .	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2807-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—उमरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.237 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2531	0.030
2534	0.008
2535	0.024
2589	0.008
3031	0.011
3197	0.008
3546	0.012
3837	0.026
3870	0.012
4053	0.048
4092	0.028
4094	0.006
4150	0.016
योग . .	0.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय किया जा सकता है.

क्र. 2809-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—भेडरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.142 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
101	0.084
102	0.039
103	0.019
योग . .	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2811-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—जामू 177

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.072 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
487	0.072
योग . .	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2813-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—गहनौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.160 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
284	0.016
286	0.016
290	0.128
योग . .	0.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2821-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—मरैला कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.216 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
136	0.152
143	0.050
757, 758, 759	0.014
योग . .	0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2823-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—पडरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.211 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
311	0.023
491	0.005
553	0.017
680	0.002
682	0.010
925	0.006
2181	0.022
2212	0.096
1374/1	0.030
योग . .	0.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मरैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2839-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—दुबगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.738 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
151	0.073	—
152	0.089	—
153	0.053	—
156	0.042	—
158	0.049	—
170	0.049	—
168	0.061	—
171	0.052	—
167	0.028	—
163	0.105	—
160	0.045	—
140	0.032	—
139	0.069	—
137	0.113	—
114	0.016	—
115	0.320	—
116	0.016	—
123	0.077	—
122	0.053	—
121	0.089	—
276	0.121	—
277	0.174	—
266	0.012	—
योग :	1.738	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2841-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—मझियार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.614 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
8	0.101	—
20	0.024	—
25	0.303	—
26	0.081	—
27	0.053	—
17	0.081	—
18	0.020	—
511	0.008	—
87	0.053	—
88	0.073	—
89	0.146	—
90	0.004	—
101	0.077	—
102	0.045	—
515	0.036	—
103	0.049	—
182	0.012	—
181	0.032	—
184	0.262	—
193	0.154	—
योग :	1.614	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2843-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—कटकी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.157 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
123	0136	—
128	0.084	—
130	0060	—
131	0.052	—
134	0.440	—
133	0.108	—
140	0.130	—
154	0.136	—
165	0.091	—
157	0.092	—
164	0.048	—
162	0.076	—
169	0.042	—
171	0.072	—
170	0.032	—
207	0.045	—
208	0.060	—
210	0.004	—

(1)	(2)	(3)
206	0.040	—
202	0.060	—
203	0.038	—
214	0.090	—
216	0.045	—
233	0.052	—
204	0.032	—
264	0.050	—
263	0.050	—
262	0.028	—
261	0.008	—
298	0.028	—
296	0.081	—
292	0.158	—
290	0.009	—
314	0.144	—
311	0.062	—
312	0.072	—
44	0.072	—
43	0.144	—
38	0.004	—
40	0.096	—
41	0.058	—
42	0.039	—
39	0.024	—
19	0.034	—
18	0.102	—
999	0.182	—
16	0.006	—
14	0.020	—
20	0.004	—
13	0.096	—
12	0.020	—
11	0.004	—
10	0.008	—
452	0.050	—
158	0.048	—
159	0.061	—
160	0.040	—
161	0.040	—
105	0.070	—
104	0.060	—
103	0.120	—
योग :	4.157	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2845-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—मनवाही 452

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.107 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
160	0.069	—
163	0.121	—

(1)	(2)	(3)
164	0.105	—
168	0.089	—
170	0.129	—
208	0.008	—
209	0.486	—
219	0.603	—
197	0.016	—
221	0.255	—
22	0.226	—
	योग : 2.107	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2847-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पैपखरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.579 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
201	0.113	—
203	0.012	—
198	0.061	—
199	0.008	—
149	0.234	—
155	0.328	—
151	0.016	—
156	0.029	—
154	0.165	—
153	0.202	—
18	0.139	—
17	0.049	—
21	0.125	—
6	0.138	—
22	0.042	—
23	0.028	—
24	0.113	—
19	0.008	—
20	0.008	—
30	0.089	—
31	0.101	—
32	0.073	—
33	0.085	—
34	0.008	—
55	0.012	—
44	0.089	—
42	0.081	—
66	0.240	—
63	0.010	—
58	0.270	—
59	0.010	—
60	0.125	—
61	0.125	—
83	0.129	—
89	0.239	—
87	0.016	—
88	0.239	—
	योग : 3.759	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2849-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—पटेहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.165 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
76/987/2	0.085
583/2	0.080
योग . .	0.165
(ब) शासकीय भूमि	निरंक
महायोग . .	0.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2851-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—बगढ़ा 337

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.125 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
88/2	0.125
योग . .	0.125
(ब) शासकीय भूमि	निरंक
महायोग . .	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र.2924-रीडर-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रानापुर
(ग) ग्राम—कांकरादरा
(घ) तालाब —भामची तालाब (नहर कार्य)

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1627	0.10
1637	0.05
1707	0.06
1694	0.04
1691	0.07
1698	0.05
1638	0.04
1639	0.01
1643	0.05
1644	0.02
1559	0.03
1551	0.02
1563	0.04
1565	0.04
1543	0.05
1529	0.03
1531	0.10
1414	0.10
1373	0.03
1386	0.01
1532	0.12
1699	0.02
1710	0.06
1702	0.08
1375	0.04
1374	0.06
1445	0.07
1438	0.07
1397	0.02
1372	0.04
1395	0.02
1645	0.02
1446	0.04
योग . .	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— भामची तालाब नहर निर्माण में आने से ग्राम कांकरादरा का कुल रकबा निजी भूमि 1.60 हेक्टर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ/रानापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.2926-रीडर-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—रानापुर

(ग) ग्राम—सुरडिया

(घ) तालाब—भामची तालाब (नहर कार्य)

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
338	0.03
337	0.04
339	0.01
352	0.07
354	0.06
444	0.01
446	0.06
497	0.05
496	0.02
495	0.03
490	0.06
488	0.05
473	0.04
29	0.06
30	0.09
13	0.13
33	0.06
149	0.10
10	0.15
153	0.11
407	0.04
411	0.13
412	0.02
413	0.02
414	0.08
432	0.02
435	0.02
437	0.02
447	0.01
434	0.02
193	0.04
192	0.05
194	0.04
195	0.15
196	0.01
328	0.02
330	0.03
336	0.02
335	0.03
(1)	(2)
355	0.03
474	0.07
475	0.10
476	0.06
190	0.02
योग . .	2.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— भामची तालाब के नहर निर्माण में आने से ग्राम सुरडिया का कुल रकबा निजी भूमि 2.28 हेक्टर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ/रानापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 18 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82--2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज

(ग) नगर/ग्राम—इटैया, भैसबाई खुर्द, सुनेहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.730 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
	ग्राम—इटैया	
42,43,44,45,46,47, 48,49/2	2.807	0.150
39,40,41/1	1.214	0.420

(1)	(2)	(3)
38/1	0.081	0.030
39,40,41/2	1.214	0.250
37/2	0.121	0.050
38/2	0.081	0.020
39,40,41/3/1	2.108	0.080
20	2.630	0.240
29/1	1.129	0.220
30/1	0.506	0.090
18/1/1	1.109	0.150
18/1/2	1.214	0.120
42,43,44,45,46 47,48,49/1	2.803	0.150
168/83	1.012	0.170
83/84	2.035	0.050
85/1	1.153	0.280
88	0.146	0.010
89	0.619	0.170
113	3.666	0.360
114	0.777	0.060
178/114	1.942	0.050
115/1	0.389	0.020
116/1	1.148	0.260
111	3.298	0.060
116/2/1	1.019	0.120
116/2/2	1.506	0.080
117	1.003	0.030
118/2	1.214	0.050
123/2/1/1	0.425	0.080
123/1/1	1.306	0.100
123/2/2/1	0.242	0.130
ग्राम—भैसबाईखुर्द		
54/2	0.809	0.110
64/1	1.120	0.020
56	2.727	0.170
67/2	1.214	0.120
65	3.545	0.300
66	1.226	0.300
53/2	0.405	0.080
73	3.634	0.360
74	0.308	0.020
67/1	2.377	0.040
161	2.274	0.300
142/2	1.040	0.230
142/1	1.044	0.110
263/93/2	1.230	0.240
170/1	0.619	0.080
171/1	1.489	0.270
175	1.643	0.080
162	2.189	0.220
96	0.243	0.020
263/93/1	0.986	0.230
93/2	3.144	0.130
93/1	0.433	0.020
95	1.809	0.020
ग्राम—सुनेहरा		
692	1.598	0.120
693	1.531	0.120
691/1	0.603	0.070
699/3	0.930	0.070
699/2/2	0.466	0.100
699/1	0.929	0.100
702	1.404	0.240
707/1	1.214	0.030
706	2.016	0.180
718	2.068	0.180
	कुल योग . .	8.730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—कीरतपुर जलाशय हेतु नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2855-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—तितरा बाघेलान
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.540 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
14	0.58	0.157
15	0.44	0.100
17	0.53	0.090
18	0.91	0.098
19	0.41	0.030
20	0.26	0.065
		योग . . 0.540

गोशवारा

निजी भूमि	—	0.540
शासकीय भूमि	—	.....

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा बाघेलान सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2857-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—तितरा शुक्लान
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.395 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)
80	0.120	
81	0.060	
82	0.060	
83	0.038	
84	0.054	
85	0.012	
86/1, 86/2	0.070	
92	0.010	
93	0.042	
100	0.030	
102	0.050	
113	0.025	
114	0.066	
161/1, 161/2	0.054	
163	0.140	
164	0.044	
165/1, 165/2	0.048	
166	0.006	
167/1, 167/2	0.174	
170/1, 170/2	0.015	
180	0.120	
181	0.07	
188	0.102	
160	0.008	
101	0.010	
योग	. .1.365	

मध्यप्रदेश शासन की भूमि

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
119	0.018
186	0.012
योग . .	0.030

गोशवारा

विवरण	कृषक सं.	खसरा नं.	कुल अर्जित रकबा (हे. मे.)
निजी भूमि	28	30 किता	1.365
म. प्र. शासन की भूमि	—	2 किता	0.030
		32 किता	
		योग . .	1.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2859-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—कोरिगवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.315 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे.में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)
289	0.045	
291	0.045	
292	0.045	
292	0.045	
293	0.085	
298/1	0.039	
299/1	0.056	
299/2		—म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग
298/2		—म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग
योग . .	0.315	

गोशवारा

निजी भूमि 8 किता	—	0.315
अशासकीय भूमि	—	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2861-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—तितरा शुक्लान

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.113 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे.में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)
213	0.007	
214	0.010	
218/1 | 218/2	0.030	

(1)	(2)	(3)
219/1 219/2	0.030	
220	0.060	
221	0.016	
268/1	0.020	
269/1	0.075	
289	0.071	
290	0.020	
291	0.025	
292	0.038	
293/1 293/2		
293/3/1 294/3/2	0.090	
294	0.030	
296	0.060	
555	0.015	
558	0.010	
559	0.060	
560	0.090	
579/1 579/2	0.112	
580	0.075	
581/1 581/2	0.025	
583	0.040	
584	0.075	
585	0.021	
586	0.015	
588	0.030	
837/1 837/2	0.075	
838	0.060	
849	0.070	
850	0.075	
851	0.030	
875	0.040	
876	0.020	
877	0.020	
878	0.020	
879	0.018	
880	0.015	
888	0.040	
889	0.050	
893/1/1 893/1/2 893/1/3 894/1/4 893/2	0.090	
904	0.015	
905	0.015	
906	0.030	
907	0.045	
909	0.055	
911	0.055	
912/1 912/2	0.025	
913	0.012	
914	0.015	
915	0.020	
916	0.006	
917	0.036	
योग :	2.095	

म. प्र. शासन की भूमि

434	0.018	
योग :	0.018	

गोशवारा

निजी भूमि 65 किता	2.095
शासकीय भूमि	0.018
महा योग :	2.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 2 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2863-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—तितरा शुक्लान

(घ) क्षेत्रफल—1.260 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
645/1	0.028
646/1, 646/2	0.028
650/1, 650/2/1, 650/2/2, 650/2/3	0.030
653	0.045
654	0.005
655	0.050
663	0.095
666	0.175
993	0.100
994	0.155
1002	0.006
1003	0.015
1013/1, 1013/2	0.040
1014	0.040
1016	0.070
1017	0.055
1019	0.090
1020	0.012
1021	0.075
1022	0.040
1023	0.070
650/1029/1, 650/1029/2	0.015
योग :	1.239

म. प्र. शासन की भूमि

1000	0.015
1001	0.006
योग :	0.021

गोशवारा

निजी भूमि 26 किता	1.239
म. प्र. शासन की भूमि 2 किता	0.021
महायोग :	1.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. 2891-प्रका.-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—आलमगंज 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.065 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
678/378	0.065
योग :	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के आलमगंज वितरिका नहर माइनर नं. 3 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2893-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—कठेरी पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.124 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
251	0.124
योग :	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के धवैया वितरक नहर की कठेरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2896-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—लौलाछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.502 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
192	0.192	-
670	0.248	-
234	0.024	-
187	0.038	-
योग :	0.502	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2898-भू-अर्जन-कार्य-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—पिपराछा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.124 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
80	0.124	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परि., रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. 2909-भू-अर्जन--20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) नगर/ग्राम—लखइया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.009 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
182/1	0.009
योग :	0.009

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की कनौजा माइनर नं. 2 की सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परि., रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 14-अ-82-2011-12-म्याना-616.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—म्याना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.234 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1001/1 में से	0.565
1002 में से	0.700
1003/2/2 में से	0.105
1003/2/3 में से	0.169
1003/2/4 में से	0.399
1003/3	1.000
1003/4 में से	1.186
1003/5 में से	1.082
1003/6 में से	1.686
1003/7 में से	0.658
1005/1 ख	0.554
1005/2 में से	0.126
1005/3 में से	1.523
1006 में से	0.169

(1)	(2)
1030 में से	0.021
1032/1 में से	0.523
1032/8 में से	0.512
1032/9 में से	0.256
योग . .	11.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीछई लघु सिंचाई परियोजना (बांध+डूबक्षेत्र).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2011-12-रीछई-617.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना
(ख) तहसील—गुना
(ग) नगर/ग्राम—रीछई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.199 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक (1)	रकबा (हे. में) (2)
2/2 में से	0.073
2/3/2 में से	0.198
2/4 में से	1.233
2/5/1 में से	0.376
2/5/2 में से	0.847
2/5/3	0.209
2/6 में से	0.268
2/7/1 में से	0.345
2/7/2 में से	1.285
2/7/3 में से	1.129
2/8 में से	0.178
2/10 में से	0.325
59/1 में से	0.126
59/2 में से	0.361
59/3 में से	0.116
61 में से	0.073
62 में से	0.064
75/1 में से	0.105
76 में से	0.094
77 में से	0.199
81 में से	0.052
82 में से	0.010
83/1 में से	0.051
84 में से	0.398
89/2/1 में से	0.084
योग . .	8.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीछई लघु सिंचाई परियोजना (बांध+डूबक्षेत्र).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012

आदेश

क्र. एफ. 67-111-10-तीन-1643.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा** के आम निर्वाचन में **सुश्री रिति सिंह,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं **जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा** के पत्र क्र. 565-स्था.नि.-10, दिनांक 20 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री रिति सिंह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री रिति सिंह** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 5 मई 2010 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त 2010 के माध्यम से संशोधित परिशिष्ट छत्तीस आयोग को प्रेषित किया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा लेखे दिनांक 2 जुलाई 2010 को प्रस्तुत किये जाने का लेख करते हुए अंकित किया कि "अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा में कोई राशि व्यय करना नहीं दर्शाया है, परन्तु प्रतिभूति राशि भी व्यय की श्रेणी में आती है. वह भी नहीं दर्शाई गई है." अत: आयोग के पत्र दिनांक 20 अगस्त 2010 के द्वारा कलेक्टर, विदिशा को निर्देशित किया गया कि अभ्यर्थी को जिलास्तर से नोटिस जारी कर अपूर्ण लेखों को पूर्ण करवाए जाने हेतु नोटिस जारी किया जावे. इसके साथ ही अभ्यर्थी द्वारा यदि विलम्ब से लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है तो अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यत के संबंध में अभिमत चाहा गया.

सुश्री रिति सिंह को नोटिस दिनांक 25 मई 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 9 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत **उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा** ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2012 में लेख किया कि **सुश्री रिति सिंह** द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. अत: आयोग द्वारा दिनांक 15 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर **माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त** के समक्ष में दिनांक 30 जुलाई 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित किया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री रिति सिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा)

प्रभारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.